UPSI010106522023

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर

सत्र परीक्षण सं0—2287 / 2023

राज्य बनाम विशनू आदि

अपराध सं0—344 / 2023
धारा—498ए,304बी भा0दं0सं0 व
3 / 4 डी0पी0एक्ट
थाना—रामपुर मथुरा
जिला—सीतापुर

आरोप

मैं, मनोज कुमार—III, सत्र न्यायाधीश, सीतापुर एतद् द्वारा आप अभियुक्तगण **विशनू व श्रवण कुमार** को निम्न प्रकार आरोपित करता हूॅं:—

1— यह कि वादिनी मुकदमा श्रीमती रामदेवी की पुत्री मृतका कान्ती की शादी आप अभियुक्त विश के साथ उसकी मृत्यु से करीब 5—6 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के पश्चात् से आप लोगों द्वारा मृतका व उसके परिवार के लोगो से अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल व एक लाख रूपये की मांग किया गया तथा दहेज की मांग की पूर्ति न होने पर मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा कृत्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 498ए में दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

2— यह कि शादी के पश्चात से ही वादिनी मुकदमा श्रीमती रामदेवी की पुत्री मृतका कान्ती से आप लोगों ने अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल व एक लाख रूपये की मांग किया व मांग की पूर्ति न होने पर वादिनी की पुत्री कान्ती के साथ क्रूरता का व्यवहार करके उसे प्रताड़ित किया तथा दिनांक 25—10—2023 को समय 11 बजे दिन के पूर्व किसी समय आप लोगों ने मृतका कान्ती की ग्राम सेमरी अन्तर्गत थाना रामपुर मथुरा जिला सीतापुर में स्थित अपने मकान में फॉसी पर लटका कर दहेज हत्या कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा कृत्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 304बी में दण्डनीय है एवं मेरे प्रसंज्ञान में है।

3— यह कि शादी के पश्चात से ही आप लोगों ने मृतका कान्ती व उसके मायके वालों से अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल व एक लाख रूपये की मांग किया। इस प्रकार आप लोगो ने ऐसा कृत्य किया जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में दण्डनीय है एवं मेरे प्रसंज्ञान में है।

अतः एतद् द्वारा निदेर्शित किया जाता है कि उक्त आरोपों के लिए आपका इस न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जाय।

(मनोज कुमार—III)
सत्र न्यायाधीश
सीतापुर।

दिनांक:21—12—2023

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाये तथा समझाये गये, अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

(मनोज कुमार—III)
सत्र न्यायाधीश
सीतापुर।

दिनांक:21—12—2023

नीरज /

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर

सत्र परीक्षण सं0–2287/2023

राज्य बनाम विशनू आदि

अपराध सं0–344/2023
धारा–498ए,304बी भा0दं0सं0 व
3/4 डी0पी0एक्ट
थाना–रामपुर मथुरा
जिला–सीतापुर

21–12–2023

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **विशनू व श्रवण कुमार** जेल से तलब होकर न्यायालय में उपस्थित है।

अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अभियोजन की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 ने केस को प्रारम्भ करते हुए पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए उन प्रस्तावित साक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत किया, जिससे वह अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये जाने वाले आरोपों को साबित करेगे।

आरोप विरचित करने के बिन्दु पर अभियुक्तगण व अभियोजन पक्ष को सुना गया।

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्को को सुनने एवं पत्रावली व केसडायरी के अवलोकन से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। तदनुसार अभियुक्तगण को आरोपित किया जाय।

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्तानुसार आरोप बनाया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 05–01–2024 को पेश हो। गवाहों को अभियोजन पक्ष जरिए सम्मन तलब करें।

(मनोज कुमार–III)
सत्र न्यायाधीश
सीतापुर।

दिनांकः21–12–2023

Digitally signed by Manoj Kumar III
Date: 2023.12.21 15:18:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court Sitapur